ए. पी. कृश्चन मेड़ीकल एज्युकेशनल सोसायटी अन्य

बनाम

आन्ध्रप्रदेश सरकार एवं अन्य

निर्णय की दिनांक 24.04.1986

[ओ. चिनप्पा रेडडी, जी.एल. औझा और के.एन. सिंह जे.जे.]

भारत का संविधान अनुच्छेद 30(1)-शेक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार-संस्थान की सटीक प्रकृति का पता लगाने के लिए ''अल्पसंख्यक आवरण'' को भेदने का न्यायालय का अधिकार

पृष्ठभूमि- अपीलकर्ता एक पंजीकृत संस्था जिसका कथित तौर पर आंध्रप्रदेश में ईसाई धर्मावलंबियों के शैक्षिणक संस्थान के रूप में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना और प्रशासन करना था। भारत सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की नीति नए मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं देने की थी। हालांकि, यह निजी संगठनों के लिए उच्च शिक्षा के कॉलेज स्थापित करने के लिए खुला था जो उन विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त कर सकते थे जिनके अधिकार क्षेत्र में वे स्थित थे। ऐसे कॉलेज केवल तभी डिग्री प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं यदि वे किसी विश्वविद्यालय से संबंद्ध हों।

उस्मानिया विश्वविद्यालय के साथ एक मेडिकल कॉलेज की संबद्धता की आवश्यकताओं में से एक कम से कम 700 बिस्तरों वाला एक पूर्ण अस्पताल, एक नियमित बाह्य रोगी विभाग, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्याख्यान कक्ष, प्रदर्शन कक्ष आदि और छात्रावास एवं वैकल्पिक रूप से लगभग पच्चीस करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान, मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति पत्र और प्रबंधन के उपनिया में को अल्पसंख्यक के रूप में पंजीकृत करने का सरकारी आदेश और सरकार द्वारा इस रूप में स्वीकारोक्ति।

अपीलकर्ता संस्था किसी को प्रिंसिपल नियुक्त करने के अलावा एक भी शर्त पूरी नहीं कर सकी। न तो एसोसिएशन के ज्ञापन और न ही एसोसिएशन के अनुच्छेदों में किसी भी राशि का उल्लेख किया गया था, जिसके साथ संस्था और उसके द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित कॉलेज को शुरू में वित्तपोषित किया जाना था। इसके पास कोई जमीन नहीं थी, और इसे चर्च का भी कोई समर्थन नहीं था जबकि इनके द्वारा संबद्धता आवेदन विश्वविद्यालय के पास लंबित था कड़े विरोध के बावजूद और विश्वविद्यालय द्वारा जारी कई चेतावनियों के बावजूद इसने छात्रों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश दिया।

23 मई, 1985 को विश्वविद्यालय ने संस्था को लिखा कि मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए राज्य सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ़

इंडिया की अनुमति लेना आवश्यक है। यह भी सूचित किया गया कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रों को प्रवेश देने में उनकी कार्यवाही अत्याधिक अनियमित और अवैध थी और उसे इस प्रकार किये गये प्रवेशों को रद्द कर देना चाहिए अन्यथा विश्वविद्यालय से संबंद्ध या मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले संस्थानों में उपस्थिति मान्य नहीं होने से परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार नहीं होंगे।

24 जुलाई, 1985 को राज्य सरकार ने संस्था को सूचित किया कि निजी मेडिकल कॉलेज शुरु करने की अनुमति नहीं दी जा सकती इसके बाद संस्था ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की और संविधान के अनुच्छेद 226 में अनुमति देने से इंकार किया रद्द करने और सरकार को अनुमति देने और विश्वविद्यालय को संबद्धता प्रदान करने हेतु रिट याचिका में प्रार्थना की। याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया जैसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की नये मेडिकल कॉलेज प्रारंभ नहीं होने चाहिए के मद्देनजर सरकार को एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति देने के लिए बाध्य करने का कोई औचित्य नहीं था।

अभी विशेष अनुमति द्वारा अपील में तर्क दिया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना कर सकता है

और उसे संविधान के तहत ऐसा करने का अधिकार है और न तो सरकार और न ही विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करने के संस्था के अधिकार से इंकार कर सकता है हालांकि वे शिक्षा की एकरूपता, दक्षता और उत्कृष्टता के हित मेंं नियामक उपाय लागू कर सकते हैं।

संस्था द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले कुछ छात्रों द्वारा रिट याचिका में यह दलील दी गई कि प्रबंधन के आचरण या विवेकहीन कार्य के कारण छात्रों के हितों का बलिदान नहीं दिया जाना चाहिए और उन्हें विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए चाहे संस्थान को अनुमति और संबद्धता प्रदान नहीं की गई हो।

अपील एवं रिट याचिका खारिज की जाकर न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित -भारत का संविधान अनुच्छेद 30(1)-शेक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार-संस्थान की सटीक प्रकृति का पता लगाने के लिए ''अल्पसंख्यक आवरण'' को भेदने का न्यायालय का अधिकार न्यायालय के पास अल्पसंख्यक आवरण को भेदने और यह पता लगाने का निःसदेह अधिकार है कि क्या इसके पीछे कोई अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। (762 सी-डी)

जो महत्वपूर्ण और अनिवार्य है वह यह है कि संस्थान को अल्पसंख्यकों के शेक्षणिक संस्थान के रूप में पहचाने जाने में सक्षम बनाने

के लिए कुछ वास्तविक सकारात्मक संकेत मौजूद होने चाहिए। अनुच्छेद 30(1) का उद्धेश्य ढांगियों द्वारा बोगियों को खड़ा करने की अनुमति देने के लिए न S हीं बल्कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास की भावना देने के लिए है न केवल अल्पसंख्यकों को धर्म मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार वरन् उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के अधिकार की गारण्टी देने के साथ सभी अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषायी को उनकी पंसद के शेक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने में सक्षम बनाना भी है। यह संस्थान सच्चाई और वास्तविकता में अल्पसंख्यकों में शेक्षणिक संस्थान होने चाहिए न कि केवल छदम दिखावा (762 एच, डी-एफ)

मौजूद मामले में अपीलकर्ता का अल्पसंख्यक शेक्षणिक संस्थान शुरू करने का दावा महज दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं था, ऐसोसियेशन के ज्ञापन में आधा दर्जन शब्द ‘‘ईसाई अल्पसंख्यक शेक्षणिक संस्थानों के रूप‘‘ के अलावा संस्था के इस दावे को सही ठहराने के लिए कुछ भी नहीं था कि उनके द्वारा शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित संस्थानों का ईरादा अल्पसंख्यक शेक्षणिक संस्थान होना था, यह शब्द केवल अनुच्छेद 30 (1) पर दावा करने हेतु जोड़े गये अन्य कोई उद्धेश्य नहीं था जो गुमराह करने के लिए थे। (763 ए-सी)

विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान करने से पूर्व कई शर्तो को पूरा

करना पड़ता था फिर भी संस्था ने प्रिन्सीपल के रूप में किसी को नियुक्त करने के अलावा उनमें से किसी अन्य शर्त को पूरा किये बिना ही उधम शुरू कर दिया, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि एक मेड़ीकल कोलेज बिना किसी शिक्षण अस्पताल के, बिना आवश्यक वैज्ञानिक उपकरणों के, बिना आवश्यक कर्मचारियों के, बिना आवश्यक भवनों के और बिना आवश्यक धन के काम करेगा फिर भी संस्था ने यहीं किया या करने का दिखावा किया। (761 ई-जी)

मौजूद मामले में एक मेड़िकल कॉलेज की स्थापना के लिए एक वित्तीय साहसिक कार्य की प्रकृति में थी जिसका उद्धेश्य पेशेवर कॉलेजिएट पाट्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक भोले- भाले व्यक्तियों से पैसा कमाना था। यह एक दुस्साहसपूर्ण ढोंग एवं मुर्खता के अलावा ओर कुछ नहीं था इसलिए न्यायालय इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा ओर गरिमा प्रदान नहीं कर सकता (761 जी-एच)

एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रां का प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो की अवहेलना था, यह दुस्साहस था क्योंकि संस्था को तथाकथित मेड़िकल कॉलेज के लिए विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना किसी भी छात्र को प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था ऐसा करके संस्था ने मासूम लड़के-लड़कियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था (758 ई-सी)

न्यायालय अपने आदेश से विश्वविद्यालय को छात्रो को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश नहीं दे सकता है और इस तरह उस कानून की अवज्ञा नहीं कर सकता जो विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं बनाये गये है। यह कानून के शासन के लिए विनाशकारी होगा। विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी चेतावनियों के बावजूद छात्रों ने कॉलेज में प्रवेश मांगा और प्राप्त किया। यह वह स्थिति है जो उन्होंने स्वयं अपने उपर लाई है और इसके लिए वे स्वयं दोषी है। विश्वविद्यालय ने सतर्क और सचेत होकर समय≤ पर चेतावनियों जारी करते हुये कार्य किया (764 ई-जी-एस, 765 ए-बी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील नंबर 5497/1985

आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के रिट याचिका नंबर 11924/1985 के निर्णय एवं दिनांक 17.10.1985 के विरूद्ध

बनाम

रिट याचिका (सिविल) संख्या 12929/1985

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

1. एस. कृष्णन, जे.बी. दादाचंजी, श्रीमती ए.के. वर्मा जोएल पेरेस एवं सुश्री लीरा गोस्वामी--सिविल अपील 5497/85 अपीलार्थीगण की ओर से।

के. के. वेणुगोपाल, एस.एस. कृष्णा, जे.बी. दादाचंजी रिट पिटीशन

नंबर 12929/85 में याचिकाकर्ताओं की ओर से।

टी.एस. कृष्णमूर्ति, एच.एस. गुरूराज एस मारकर्डेय, के. रामकुमार एवं के. राममोहन-विपक्षीगण की ओर से।

बी.पी. सिंह, रणजीत कुमार एवं हरबंस सिंह-हस्तक्षेप करने वालों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय चिन्नपा रेड्डी जे द्वारा सुनाया गया

यह मामला शैक्षिक संस्थनों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार की आड़ में पेशेवर कालेजिएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छूक, भोले, मूर्ख, उत्सुक और धोखे के लिए तैयार उम्मीदवारों को एक निर्लज और असामान्य शोषण से संबंधित है। खुद को आंध्रप्रदेश क्रिश्चिन मेडिकल एज्यूकेशनल सोसायटी के रूप में वर्णन करने वाली एक संस्था 31 अगस्त, 1984 को पंजीकृत की गई संस्था के मेमोरेण्डम ऑफ़ एसोशिएसन में उल्लेखित उद्देश्यों में ईसाई अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षिक और अन्य संस्थानों की स्थापना प्रबंधन रख-रखाव के सभी चरणों, प्राथमिक, माध्यमिक, कोलेजिएट, स्नातकोत्तर और डा ॅक्टरेट में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना के साथ मेडिकल कॉलेजों इंजिनियरिंग कॉलेजों, फार्मेसी कॉलेजों, वाणिज्य, साहित्य, कला, विज्ञान, प्रबंधन कॉलेज और अन्य विषयों में कॉलेजों को बढ़ावा देना, स्थापित करना, प्रबंधन, रख-रखाव करने के साथ-साथ उपयोगी ज्ञान और प्रशिक्षण के प्रसार के लिए संभव

गतिविधियों को बढ़ावा देना था। मेमौरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन अन्य उद्देश्यों का भी उल्लेख किया गया था। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि किसी भी उद्देशय का किसी अल्पसंख्यक से कोई लेना-देना नहीं था यहां तक कि पहले उल्लेखित उद्देश्य में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस कथन का क्या मतलब था कि सभी चरणों में शिक्षा और प्रशिक्षण उस समाज के संस्थानों में ''ईसाई अल्पसंख्यकों के रूप में'' शैक्षिक संस्थानों में प्रदान किया जाना प्रस्तावित था। जाहिर तौर पर संस्था द्वारा संविधान के अनुच्छेद 30(1) में गांरटीकृत अधिकारों का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए ''ईसाई अल्पसंख्यकों के शैक्षणीक संस्थानों के रूप'' में शब्द जोड़े गये थे अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं जैसे-जैसे हम आगे तथ्य बतायेंगे यह और भी स्पष्ट होता जाएगा।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि न तो एसोसिएशन के ज्ञापन और न ही एसोसिएशन के लेख में उस धनराशि का कोई संदर्भ दिया गया जिससे संस्था और उसके द्वारा स्थापित किये जाने वाली प्रस्तावित संस्थानों को वित्त पोषित किया जाना था। अपीलकर्ता संस्था के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया कि संस्था के पास छात्रों से एकत्र की गई राशि के अलावा स्वयं का कोई फण्ड नहीं था।

27 अगस्त, 1984 को प्रो. सी. ए. एडम्स जो सोसायटी के मेमोरेण्ड ऑफ़ॅ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर करने वाले थे उन्होंने भारत की दिवंगत

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखे पत्र में भारतीय ईसाई राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वयंभू अध्यक्ष होने का दावा करते हुए अनुरोध किया कि केंद्र सरकार उन्हें आंध्रप्रदेश में केंद्रीय ईसाई विश्वविद्यालय स्थापित करने के अनुमति दे जहाँ ईसाई बच्चों को कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, धार्मिक पाठ्यक्रम और तकनीक पाठ्यक्रमों में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े याचिकाधिकारी ने प्रो. एडम को सूचित किया कि उनका पत्र आगे की कार्यवाही हेतु शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय को भेज दिया गया है 20 सितम्बर, 1984 को भारत सरकार ने शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के उपसचिव ने भारतीय ईसाईयों के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को इस आश्य का पत्र लिखा कि विश्वविद्यालय केवल संसद या राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों के तहत ही स्थापित किये जा सकते है इसलिए किसी संगठन को विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं है साथ ही यह सूचित किया गया कि निजी संगठनों के लिए उच्च शिक्षा की कॉलेज स्थापित करना खुला है जो उन विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त कर सकते हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में वे स्थापित किये गये हैं। ऐसे कॉलेज विश्वविद्यालय की डिग्री के लिए पाठ्यक्रम तभी प्रदान कर सकते है जब वे किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो प्रो. एडम्स ने तब भारत सरकार को पत्र लिखकर दावा किया कि सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति देने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार कानून बनाने की पहल भी

कर सकती है। देरी से बचने के लिए, पत्र में कहा गया है, वे रंगारेड्डी जिले के विकाराबाद में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर रहे थे। यह कहा गया शुरुआत आपकी सलाह के अनुसार हम विकाराबाद में निम्नलिखित संकाय शुरू करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, जहाँ हमारे पास ईसाई अस्पताल, हाई स्कूल, चर्च और अन्य खाली इमारतें हैं और हमारे पास आगे के विस्तार के लिए उपयुक्त बहुत सारी खली जमीन ईसाई चर्च की है। इसी क्रम में उनके कॉलेजों को भारत सरकार से संबद्धता प्राप्त करने के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय को संबोधित करने का अनुरोध किया गया और उनके मेडिकल कॉलेज को संबद्ध करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सिफारिश करने का अनुरोध किया। सरकार ने इन महाविद्यालयों के लिए ''केंद्रिय अनुदान'' स्वीकृत करने की भी प्रार्थना की गई। इससे पहले पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री कितने दयालु है कि वह भारत में रहने वाले दो करोड़ ईसाइयों के कल्याण के लिए आंध्रप्रदेश में केंद्रीय ईसाई विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति देने के लिए सहमत हुए। पत्र में अधिकांश बयान या तो भ्रामक है या झूठे। यह बात हमारे सामने झूठ है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय ईसाई विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सहमत हुए थे। इसी प्रकार ''हमारे ईसाई अस्पताल, हाई स्कूल, चर्च और खाली इमारतों'' के संदर्भ से यह आभास कराया गया कि यह अस्पताल, हाई स्कूल आदि भारतीय ईसाइयों की स्वयंभू राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थाए थी। इनमें से किसी भी संस्थान का इस तथाकथित संगठन से

दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। यह बात हमारे सामने एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार की गई जहाँ ँ प्रोफेसर एडम्स भारतीय ईसाइयों के राष्ट्रीय कांग्रेस के तथाकथित अध्यक्ष के रूप में केंद्र सरकार के साथ संवाद कर रहे थे वहीं एक अन्य संस्था अर्थात् आंध्रप्रदेश क्रिश्चिन मेडिकल एज्यूकेशनल सोसायटी के अध्यक्ष के रूप आंध्रप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री और उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ पत्राचार में शामिल हुऐ। उन्होंने और स्वयं को सोसायटी का सचिव बताने वाले क्रिस्टोफर ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर दावा किया कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के प्रावधानों के तहत उन्हें ईसाई अल्पसंख्यक को उनकी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। उन्होंने भारत सरकार को सुझाव के अनुसार भारत के केंद्रीय ईसाई विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू करने और विकाराबाद में एक ईसाई मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया जिस पत्र में उल्लेख किया गया कि भारत सरकार ने उन्हें सूचित किया था कि संसद या राज्य विधानमंडल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कार्यवाही शुरू करनी होगी लेकिन भारत सरकार ने उन्हें व्यावसायिक कॉलेज शुरू करने और उस विश्वविद्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र में वे आते हैं, से संबद्धता लेने की अनुमति दी। यह दोहराना अनावश्यक है कि अनुमति देने का संदर्भ गलत था। 30 नवंबर, 1984 को भारतीय ईसाइसों के राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव क्रिस्टोफर ने उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद सेन्ट्रल विश्वविद्यालय

के कुलपतियों एवं भारत के आठ अन्य विश्वविद्यालयों को परिपत्र लिखकर उनसे स्वयं के कॉलेजों को संबद्धता/मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया। 22 जनवरी, 1985 को उस्मानीया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि एसोसिएशन को संबद्धता के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना और निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन जमा कराना आवश्यक है। मेडिकल कॉलेज की संबद्धता की शर्तों का उल्लेख इस प्रकार किया गया-

1.यह पूर्ण विकसित अस्पताल न्यूनतम 700 बिस्तर के साथ होने चाहिए।

2.एक नियमित ब्राहय रोगी विभाग होना चाहिए कैजुअल्टी डिमैटोललोजी अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्याख्यान छात्रों के लिए प्रदर्श कक्ष।

3.कॉलेज में एक पूर्ण थिएटर होना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक में 150 से 200 छात्रों के बैठने की क्षमता वाले तीन थिएटर और 350 से 400 छात्रों के बैठने की क्षमता वाला एक थिएटर होना चाहिए,लेक्चर थिएटर और प्रदर्शन कक्षों में आवश्यक आॅडियो विजुअल सहायता प्रदान की जानी चाहिए। लेक्चर थिएटर के अलावा एक सभागार भी होना चाहिए जहाँ 800 से 1000 व्यक्ति बैठ सकें।

4. निम्नलिखित विभाग 1 एनाटोमी 2. फिजियालोजी 3. बायोकेमेस्ट्री 4. फार्माकोलोजी 5. पैथोलोजी 6 माइक्रो जीव विज्ञान 7 फोरेन्सिक मेडिसन 8 सामाजिक और निवारक चिकित्सा 9. सामान्य चिकित्सा 10. शल्य चिकित्सा 11 प्रसूति एवं स्त्री रोग 12. रक्त बैंक के लिए स्थान उपलब्ध कराना होगा। इसी के साथ निम्नलिखित विभागों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाना है।

5. प्री-पैराक्लिनिकल के लिए उपकरण की लागत एक करोड़ रुपये और स्टाफ पर व्यय 2400 लाख रुपये प्रतिवर्ष है।

6. प्रबंधन को शरीर रचना विज्ञान और जैव रसायन शास्त्र के लिए लैब स्थापित करनी चाहिए।

7. निम्नलिखित के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि-

1. अस्पताल 700 बिस्तर-	रू. 7.00 करोड़
2. कॉलेज-	रू. 3.00 करोड़
3. पुस्तकालय, प्रशासनिक ब्लाक, औडिटोरियम, एनिमल हाउस और वर्कसॉप	रू. 1.00 करोड़

4. अस्पताल रू. 1-

1/2.00 करोड़ 5. उपकरण और फर्नीचर-

1. अस्पताल के लिए रू. 7.5 करोड़

2. कॉलेज हॉस्टल्स रू. 5.00 करोड़

8.मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए प्रबंधन तत्काल प्रभाव से प्राचार्य की नियुक्त करेगा।

9.आंध्रप्रदेश में मेडिकल कॉलेज शुरु करने हेतु।

10. सरकार का आदेश इंगित करता है कि प्रबंधन को उपविधि अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया और सरकार द्वारा इस रूप में स्वीकार किया गया।

11.कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने के लिए भूमि के दस्तावेजी साक्ष्य।

12.प्रस्तावित भवन का नक्शा जिसमें महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

13.फर्नीचर, किताबों, उपकरणों, यदि कोई हो, के लिए फर्मों को दिए गए आदेश की प्रतियां, या इस आशय का संकल्प कि प्रबंधन फर्नीचर, उपकरण और किताबों आदि के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करेगा।

14. शासी के संविधान की एक प्रति और शासी निकाय के पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति।

भारतीय ईसाइयों की राष्ट्रीय कांग्रेस ने अनुलग्नक में आवश्यक जानकारी 10 प्रतियों में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। इसके बाद 19 मार्च, 1983 को क्रिश्चिन मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर एडम्स ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर सूचित किया कि प्रबंधन विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1985 में उल्लेखित विभिन्न मामलों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रहा है और डा॰. के. संजीव राव को उस कॉलेज का प्रार्चाय नियुक्त किया गया। पत्र में कहा गया कि राज्य सरकार की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईसाई समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। यदि अनुमति आवश्यक थी तो केंद्र सरकार ने 20 सितंबर, 1984 के पत्र द्वारा पहले ही अनुमति दे दी थी। यह भी उल्लेख किया गया कि मुत्तांगी, मेडक जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की 'योजनाएं और अनुमान' संलग्न है। विश्वविद्यालय को आगे सूचित किया गया कि 1984 सत्र हेतु विश्वविद्याल के द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में 60 छात्रों को पहले ही प्रवेश दिया जा चुका था और कक्षाएं 25 फरवरी, 1985 से संचालित हो रही थीं। विश्वविद्यालय से कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए स्क्रीनिंग समिति भेजने का अनुरोध किया गया। विश्वविद्यालय से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने

का भी अनुरोध किया गया। पत्र में सामान्य रूप से गलत बयान शामिल थे। यह कथन कि केंद्र सरकार ने अनुमति दी थी, निश्चित रूप से गलत था। मेडक जिले के मुतांगी में प्रस्तावित कॉलेज भवन की 'योजनाओं और अनुमानों' का जिक्र करने वाला बयान फिर से एक भ्रामक बयान था क्योंकि अब यह स्वीकार किया गया कि सोसायटी के पास मुतांगी में कोई जमीन नहीं है। यद्यपि विश्वविद्यालय ने संबद्धता प्रदान करने से पहले सोसायटी से कई शर्तों को पूरा पूरा करने का आह्वान किया था, लेकिन पत्र से यह स्पष्ट है कि कॉलेज के प्राचार्य के रूप में किसी को नियुक्त करने के अलावा, अन्य शर्तों के अनुपालन के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। संस्था ने स्वयं किसी भी अन्य शर्त को पूर करने के लिए किए गए किसी भी प्रयास का उल्लेख नहीं किया। एमबीबीएस प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में 60 छात्रों का प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों की अवहेलना थी। यह दुस्साहस था क्योंकि संस्था को विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रापत किए बिना किसी भी छात्र को प्रवेश देने का कोई अधिकार नहीं था। तथाकथित मेडिकल कॉलेज में छात्रों को प्रवेश देने का दावा करके संस्था ने निर्दोष लड़के-लड़कियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। विश्वविद्यालय ने 23 मई, 1985 को सोसायटी को पत्र लिखकर बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, स्क्रीनिंग कमेटी की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त किए बिना संबद्धता प्रदान नहीं की जा सकती। यह भी बताया गया कि मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए राज्य सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया की

अनुमति लेना जरूरी हैं सोसायटी को सुचित किया गया कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रों को प्रवेश देने में उनकी कार्रवाई बहुत अनियमित और अवैध होकर संस्था को उनके द्वारा किये गये प्रवेश को रद्द करने को कहा गया। यह भी बताया गया कि उन संस्थानों जो संबद्ध या मान्यता प्राप्त नहीं हैं की उपस्थिति को विश्वविद्यालय किसी भी उम्मीदवार को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता प्रदान नहीं करेगा।

इस स्तर पर यह उल्लेख करना समीचीन है कि आंध्रप्रदेश क्रिश्चिन मेडिकल शिक्षण संस्थान ने दिनांक 09 दिसम्बर, 1984 के ''डेक्कन क्रॉनिकल'' में एक विज्ञापन ड़ाला था जिसमें आंन्ध्रप्रदेश सेन्ट्रल इंस्टीट्रयूट के चिकित्सकीय विज्ञान की एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए उम्मीद्वारों से आवेदन आमन्त्रित किये गये। तब विज्ञापन विश्वविद्यालय के अधिकारियों के ज्ञान में आया तो उन्होंने एक अधिसूचना प्रकाशित की जिसमें आम जनता और विशेष रूप से छात्र समुदाय को सूचित किया गया कि उस्मानिया विश्वविद्यालय उपरोक्त संस्थान को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में न तो अनुमति दी है और न ही इस हेतु संबद्धता दी है और कोई भी उपरोक्त संस्थान में प्रवेश चाहता है वह उसके अपने जोखिम पर होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था एमबीबीएस में पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश आमन्त्रित करने के लिए समय-समय पर विज्ञापन देती रही। अन्त में दिनांक 04 मार्च, 1985 को विश्वविद्यालय ने एक बार फिर

समाचार पत्रों में ऐसी ही चेतावनी वाली एक अधिसूचना प्रकाशित की, यह चेतावनी रेड़ियों और टेलीविजन पर भी प्रसारित की गई। इन सब के बावजूद संस्थान ने फिर से अखबार में विज्ञापन देकर 1985 के सत्र के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए उम्मीद्वारों से आवेदन आमन्त्रित किये। विश्वविद्यालय को एक बार फिर जनता को चेतावनी देते हुये एक अधिसूचना प्रकाशित करनी पड़ी। दिनांक 05 जून, 1985 को संस्था ने डेक्कन क्रोनिकल में अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित उत्तर नोटिस शेली में विज्ञापन ड़ाला। नोटिस में बार-बार दोेहराये जाने वाले झुंठे तथ्य शामिल किये। केन्द्र सरकार ने संस्था को व्यावसायिक कॉलेज शुरू करने की अनुमति दी थी और प्रधानमन्त्री ने स्वयं अनुमति देने की सिफारिश की थी। यह दावा किया गया कि उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना असंवैधानिक और अनावश्यक थी। यह भी कहा गया कि प्रबन्धन अन्य विश्वविद्यालय के साथ सबंद्धता चाह रहा है और उसने अच्छी प्रगति की है। निःसन्देह एक ओर गलत बयान है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि संस्था ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से सबंद्धता प्राप्त करने में कोई प्रगति की हो।

24 जुलाई, 1985 को आन्ध्रप्रदेश सरकार ने संस्थान को पत्र लिखकर सूचित किया कि सरकार और मेड़िकल काउन्सिल ऑफ़ इण्ड़िया की नीति है कि नये मेड़िकल कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं दी जाए इसलिए निजी मेड़िकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारे सामने

याचिकाकर्ता संस्थान ने इस बयान पर विवाद किया कि भारत सरकार या मेड़िकल काउन्सिल ऑफ़ इण्ड़िया का नये मेड़िकल कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं दी जाए, नीतिगत निर्णय था। लेकिन दो पत्र एक मेड़िकल काउन्सिल ऑफ़ इण्ड़िया की ओर से आन्ध्रप्रदेश सरकार और दूसरा भारत सरकार को मेड़िकल काउन्सिल ऑफ़ इण्ड़िया को हमारे संज्ञान में लाया जावे। 16 जनवरी, 1981 को मेड़िकल काउन्सिल ऑफ़ इण्ड़िया की ओर से आन्ध्रप्रदेश सरकार को लिखे पत्र में कहा गया ''काउंसिल किसी भी नये मेड़िकल कॉलेज को प्रारम्भ करने के खिलाफ है जब तक कि सभी मौजूदा मेड़िकल कॉलेजों को मजबूती से स्थापित नहीं किया जाता है।'' भारत सरकार के मेड़िकल काउन्सिल ऑफ़ इण्ड़िया को लिखे पत्र में कहा गया अतः वर्तमान में देश में 106 मेड़िकल कॉलेज है जिनमें प्रति वर्ष 12,500 मेड़िकल स्नातक निकलते है। यह आँकड़ा पर्याप्त है।'' देश की मेड़िकल मेन पाँवर चिकित्सक संज्ञाय आवश्यकताओं को पूरा करे इसलिए भारत सरकार की वर्तमान नीति नये मेड़िकल कॉलेज के स्थापना की अनुमति देने की नहीं है।''

आन्धप्रदेश सरकार द्वारा संस्था को मेड़िकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति देने से इंकार करने पर संस्था ने आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा गारण्टी यह मौलिक अधिकार पर आधारित रिट याचिका दायर की और आन्ध्रप्रदेश सरकार द्वारा अनुमति देने से इंकारी ओदश को रद्द करने की मांग की एवं सरकार को अनुमति देने

और विश्वविद्यालय की सबंद्धता प्रदान करने का निर्देश देने के लिए अनुरोध किया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि विशेषज्ञ निकाय यथा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध की आगे कोई मेड़िकल कॉलेज शुरू नहीं किया जाना चाहिए के मद्देनजर संस्थान को एक नया मेड़िकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति देने के लिए सरकार को मजबूती करने हेतु कोई परिस्थिति नहीं है। संस्था ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस अदालत की विशेष अनुमति से यह अपील दायर की।

तथ्यों का वर्णन करते समय भी हम सोचते है कि हम संविधान के अनुच्छेद 135 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इंकार करने की उचित ठहराने के लिए पर्याप्त कह चुके है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि याचिकाकर्ता का अल्पसंख्यक शेक्षणिक संस्थान शुरू करने का दावा महज दिखावा है। ''ईसाई अल्पसंख्यक शेक्षणिक संस्थान के रूप में'' शब्दों के अलावा समाज के उद्धेश्यों में से एक जेसा कि संस्थान के ज्ञान में उल्लेखित है कि अतिरिक्त संस्थान के दावे को उचित ठहराने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रस्तावित संस्थान ''अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान'' है। संस्थान द्वारा केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय को लिखे गये हर पत्र में झुंठे और भ्रामक बयान शामिल है। जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके है कि याचिकाकर्ता द्वारा मेड़िकल कॉलेज शुरू करने के लिए सरकार द्वारा अनुमति दिये बिना और विश्वविद्यालय द्वारा कोई सबंद्धता दिये

बिना एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रों को प्रवेश देने या प्रवेश देने का नाटक किया गया। संस्थान ने विश्वविद्यालय द्वारा उठाये गये कड़े विरोध और विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई कई चेतावनियों के बावजूद ऐसा किया। संस्थान ने आन्ध्रप्रदेश शिक्षा अधिनियम, उस्मानिया विश्वविद्यालय अधिनियम, उस्मानिया विश्वविद्यालय के विनियमों के प्रावधानों की अवहेलना करते हुये और छात्रों के हित कल्याण के विरूद्ध विश्वविद्यालय और सरकार की अवज्ञा की। कई उत्कृष्ठ छात्रों के केरियर के साथ खिलवाड़ करते हुये उनके भविष्य को पूरी तरह से खतरे में ड़ाल दिया। जाहिर तौर पर मेड़िकल कॉलेज की तथाकथित स्थापना तथाकथित संस्थान और उसके पदाधिकारियों के लिए वित्तीय शासकीय कार्य थी। लेकिन छात्रों के लिए एक शेक्षिक दुस्साहस था। विश्वविद्यालय द्वारा सबंद्धता प्रदान करने से पहले कई शर्तो को पूरा करना पड़ता है फिर भी संस्थान ने प्रिन्सीपल नियुक्त करने के अलावा एक भी अन्य शर्त को पूरा किये बिना उधम शुरू किया। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि एक मेड़िकल कॉलेज बिना किसी शिक्षण अस्पताल, बिना आवश्यक वैज्ञानिक उपकरणों, बिना किसी कर्मचारियों, बिना आवश्यक भवनों और बिना किसी धन के कार्य कर सकता है फिर भी संस्थान ने यहीं किया या करने का दिखावा किया। हमें इसमें कोई सन्देह नहीं है कि संस्थान और तथाकथित संस्थानों को व्यावसायिक कॉलेज में प्रवेश पाने के इच्छुक भोले-भाले व्यक्तियों से पैसा कमाने के उद्धेश्य से व्यावसायिक उधमी के रूप में शुरू किया गया,

यह एक दुस्साहसपूर्ण ढोंग और बेईमानी के अलावा ओर कुछ भी नहीं है। क्या हम बिना किसी कल्पना के भी इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा और गरिमा प्रदान कर सकते है।

हमारे समक्ष गंभीरता से यह तर्क दिया कि कोई भी अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों से संबंधित अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करसकता है और उसे संस्थान के तहत ऐसा करने का अधिकार है.....न तो सरकार और न ही विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करने की संस्थान के अधिकार से इंकार कर सकता है यद्यपि वे शिक्षा की एकरूपता, दक्षता और उत्कृष्ठता के हित में नियामक उपाय लागु कर सकता है। जहाँ तक मौजूद मामले का संबंध है, यह तर्क इस सोच में निहित है कि न तो सरकार और न ही विश्वविद्यालय के इस दावे के पीछे का अधिकार है। संस्थान एक अल्पसंख्यक संस्थान है, यह जाँच करने व खुद को संतुष्ट करने का अधिकार है कि क्या दावा ठीक है। सरकार, विश्वविद्यालय और अन्ततः अदालत को अल्पसंख्यक आवरण को तोड़ने का निःसन्देह अधिकार है। इसी के साथ कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को खेद के साथ यह भी पता लगाने में सक्षम है कि क्या इसके पीछे कोई अल्पसंख्यक और किसी भी मामले में अल्पसंख्यक संस्थान तो नहीं छिपा है, अनुच्छेद 30 (1) का उद्धेश्य ढोंगियों द्वारा बोगियों को खड़ा करने की अनुमति देने के लिए नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा, राहत, आत्मविश्वास की भावना देने के लिए है न कि केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को धर्म को

मानने, अभ्यास और प्रचार करने की अधिकार की गारण्टी देकर भाषायी अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करना बल्कि सभी अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक या भाषायी को उन्हें पंसद के शेक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने में सक्षम बनाना है। यह संस्थान सच्चाई और वास्तविकता में अल्पसंख्यकों को शेक्षणिक संस्थान होने चाहिए न कि केवल छदम दिखावा। यह ऐसी संस्थान हो सकती है जिनके उद्धेश्य अल्पसंख्यकों के बच्चों को सर्वोत्तम सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें देश का सम्पूर्ण पुरूष और महिला बनाते हुये उन्हें पूरी तरह से दुनिया में जाने हेतु तैयार सुसज्जित व सक्षम बनाना है, यक ऐसे संस्थान हो सकते है जहाँ अल्पसंख्यक बच्चों के लाभ व उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किये जाते है। जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के माता-पिता यह उम्मीद कर सकते है कि उनके धर्म के मूल सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा, शिक्षकों द्वारा या उनके मार्गदर्शन में सीखी हुई और आस्था से भरी हुई प्रदान की जावेगी। यह ऐसे संस्थान हो सकते है जहाँ माता-पिता अपने बच्चों को एक ऐसे व्यापक माहौल में बड़े होने की उम्मीद करते है जो उनके धर्म के अनुरूप हो या उसके अनुसरण के लिए अनुकूल हो, महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। संस्था की अल्पसंख्यकों की एक शिक्षण संस्थान के रूप में पहचान सुनिश्चित करने के लिए कोई वास्तविक सकारात्मक सूचकांक मोजूद होना चाहिए।

हम पहले ही कह चुके है कि वर्तमान मामले में ऐसोसियेशन के ज्ञान

में आधा दर्जन ''एक ईसाई अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में'' शब्द के अलावा ज्ञापन या ऐसोसियेशन के लेख में ऐसा कुछ नहीं है जो प्रमाणित करता कि संस्थान का उद्धेश्य एक अल्पसंख्यक शेक्षणिक संस्थान होना था। जैसाकि पहले ही पाया है कि इन आधा दर्जन शब्दों को केवल गूमराह करने के लिए याचिका पेश करने हेतु अंकित किये गये है। हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि एक नये मेड़िकल महाविद्यालय को शुरू करने की अनुमति को सरकार द्वारा अस्वीकार नहीं यिा जा सकता है न ही विश्वविद्यालय द्वारा किसी अल्पसंख्यक संस्थान को सबंद्धता पालना से इस स्तर पर इंकार किया जा सकता है कि भारत सरकार और मेड़िकल काउसिंल ऑफ़ इण्ड़िया ने नये मेड़िकल महाविद्यालय को शुरू करने की अनुमति नहीं देने का नीतिगत निर्णय लिया है। इस तरह के नीतिगत निर्णय से अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 30(1) गारण्टीकृत के तहत इस तरह के नीतिगत उनकी पंसद को निर्णय से अल्पसंख्यकों को शेक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार से वंचित करना है। यह भी तर्क दिया गयाकि शेक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को पूर्ण अधिकार है और सार्वजनिक हित, राज्य या सामाजिक आवश्यकता के किसी भी आधार पर इस अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। किसी अल्पसंख्यक संस्थान को इस आधार पर मेडिकल महाविद्यालय शुरू करने की अनुमति देने से इंकार करना कि देश में पहले से ही पर्याप्त मेड़िकल महाविद्यालय है। अनुच्छेद 30(1) में प्रथमतः

अल्पसंख्यकों के अधिकार से इंकार करने के समान है। दूसरी ओर यह कहा गया कि जब अपने सदस्यों के लिए सामान्य या व्यावसायिक शिक्षा की खोज में एक अल्पसंख्यक जीवन की मुख्य धारा में शामिल होता है, वह स्वयं को राष्ट्रीय हित के अधीन रखता है। अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को उनकी पंसद के शेक्षणिक संस्थान स्थापित कराने की पूर्ण स्वतन्त्रता देता है। यदि अल्पसंख्यक समुदाय उसकी पंसद व्यक्त करता है और राष्ट्रीय शिक्षण नीति की योजना में शामिल होने का विकल्प चुनता है तो उसे स्वाभाविक रूप से उस नीति की शर्तो का पालना करना होगा जब तक कि शर्तो में अनुच्छेद 30(1) के तहत अधिकार के आत्मसमर्पण की आवश्यकता न हो। यह कहा गया है कि एक मेड़िकल महाविद्यालय को बहुत भारी निवेश की आवश्यकता होती है और आवश्यकता से अधिक चिकित्सकों को तैयार करना एक राष्ट्रीय पूर्ति होगी। इसके अलावा उस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या पैदा होगी जहाँ कोई नहीं होना चाहता। सर रोजर डी कवरली के शब्दों में ''दोनों तरफ से बहुत कुछ कहा जाना बाकी है।'' हमारी दृष्टि में अन्य मुद्दों पर अपने निष्कर्ष के अनुसार हम इस प्रश्न पर कोई राय देने का जोखिम नहीं उठाना चाहते है।

श्री के. के. वेणुगोपाल ने इस संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाले वाले छात्रों की ओर से दलील दी कि प्रबन्धन के आचरण या विवेकहीन निर्णय के कारण छात्रों के हितों का बलिदान नहीं दिया जाना चाहिए एवं इन परिस्थितियों में कि संस्थान को अनुमति और संबद्धता

प्रदान नहीं की गई। विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया कि दारू-सलाम ट्रस्ट द्वारा स्थापित मेड़िकल महाविद्यालय के छात्र को इस तथ्य के बावजूद कि जब तक किक विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें संबद्धता प्रदान नहीं की गई थी। काउंसिल ऑफ़ इण्ड़िया द्वारा ट्रस्ट को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। विद्वान अधिवक्ता श्री वेणुगोपाल ने सुझाव दिया कि हम छात्रों के हितों की रक्षा के लिए विश्वविद्यालय के उचित निर्देश जारी कर सकते है। हमें नहीं लगता कि हम छात्रों की ओर से श्री वेणुगोपाल द्वारा किये गये अनुरोध को स्वीकार कर सकते है। श्री वेणुगोपाल द्वारा मांगा गया कोई भी निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों और नियमों का स्पष्ट उल्लंघन होगा। हम अपने आदेश से विश्वविद्यालय को उस कानून में अवज्ञा करने का निर्देश नहीं दे सकते जिसके तहत उसका अस्तित्व है और वह स्वयं द्वारा बनाये गये नियमों का उल्लंघन करे बाबत न्यायालय द्वारा कानून की अवज्ञा करने का निर्देश विधि के शासन के लिए इससे अधिक विनाशकारी किसी चीज की हम कल्पना नहीं कर सकते है। दारू-सलाम ट्रस्ट द्वारा शुरू किये गये मेड़िकल महाविद्यालय का मामला एक अलग स्तर पर खड़ा था क्योंकि हमारे सामने रखे गये रेकार्ड से हमें पता लगता है कि राज्य सरकार द्वारा ट्रस्ट को मेड़िकल महाविद्यालय शुरू करने की अनुमति दी गई और विश्वविद्यालाय ने अंतरिम संबद्धता प्रदान की थी। मेड़िकल काउंसिल ऑफ़ इण्ड़िया ने अंतरिम संबद्धता की कड़ी और गंभीर आपत्ति

जताई जिसके बाद विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय को दी गई संबद्धता वापस ने ली। विश्वविद्यालय ने दारू-सलाम मेड़िकल महाविद्यालय के मामले में जो किया उसे हम वर्तमान मामले में एक मिसाल के रूप में मानने में असमर्थ है जिसमें विश्वविद्यालय को कुछ ऐसा करने का निर्देश दिया जाये जिसे करने से उसे विश्वविद्यालय अधिनियम और विश्वविद्यालय के नियमों द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है। हमें खेद है कि जिन छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश दिया गया उन्होंने न केवल वह पैसा खो दिया जो महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए खर्च किया होगा। इसीं के साथ एक या दो साल का कीमती समय भी खो दिया जिससे उनके भविष्य को लगभग खतरा हो गया। विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई चेतावनियों के बावजूद महाविद्यालय में प्रवेश चाहने और प्राप्त करने के कारण उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। हमें यह देख कर खुशी हुई है कि विश्वविद्यालय ने संस्थान में प्रवेश चाहने और प्राप्त करने के कारण उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। विश्वविद्यालय ने संस्थान में प्रवेश चाहने वालों को समय पर चेतावनी जारी करते हुये सतर्क और सजगता से काम किया। हमें विश्वास है कि कई लोगों ने विश्वविद्यालय द्वारा जारी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया, तो वे स्वयं इसके लिए दोषी है फिर भी अगर उन्हें किसी तरह से मुआवजा दिया जा सकता है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसा न किया जा सकता हो। हमें यह बताया गया कि संस्थानों को संपति, जो छात्रों से एकत्र यि गये धन से उत्पन्न हुई थी,

जप्त कर ली गई है। यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है किक वह छात्रों को कम से कम आर्थिक रूप से मुआवजा देने के लिए विधायी और प्रशासनिक, उपयुक्त तरीके अपनाये। सोसायटी द्वारा दायर की गई अपील को 10,000/- रूपये व्यय् के साथ खारिज किया जाता है एवं छात्रों द्वांरा दायर रिट याचिका परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना किसी व्यय् खारिज किया जाता है।

परिणामतः अपील और याचिका खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुश्री लता गौर (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी लता गौड़, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

लता गौड़, आरजेएस

विशिष्ठ न्यायाधीश,

एनडीपीएस प्रकरण, भीलवाड़ा (राज.)